

46068 - कब्र की सजा के विस्तृत कारण

प्रश्न

वो कौन से पाप हैं जिनके करने वाले कब्रों में दंडित किये जायेंगे ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

प्रश्न संख्या (45325) के उत्तर में इन कारणों का उल्लेख किया जा चुका है, यहाँ पर हम उन्हीं गुनाहों में से एक समूह का उल्लेख कुरआन और सहीह हदीस से उनकी दलीलों के साथ कर रहे हैं।

अल्लाह के साथ शिर्क (किसी को साझीदार बनाना) और कुफ्र करना:

अल्लाह तआला ने आले फिर्औन के बारे में फरमाया : "आग है जिस पर यह प्रातः काल और सांयकाल प्रस्तुत किये जाते हैं, और जिस दिन महाप्रलय होगा (आदेश होगा कि) फिर्औनियों को अत्यन्त कठिन यातना में झोंक दो।" (सूरतुल-मोमिन : 46)

तथा अल्लाह तआला ने फरमाया : "और यदि आप उस समय देखें जब यह अत्याचारी यम यातना (मरते समय की तकलीफ) से पीड़ित होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी प्राणों को निकालो, आज तुम को इस प्रत्याप्राध में निंदात्मक (अपमानजनक) यातना दी जायेगी जो तुम अल्लाह तआला पर असत्य बातें कहा करते थे और तुम अल्लाह की आयतों से अहंकार करते थे।" (सूरतुल-अन्आम : 93)

जब काफिर की जान निकलने का समय होता है तो फरिश्ते उसे यातना, सजा, बेड़ियों, जंजीरों, नरक और उस पर अल्लाह तआला के क्रोधित होने की सूचना देते हैं, तो उसकी आत्मा उसके शरीर में भटकने लगती है और बाहर निकलने से इंकार करती है, तो फरिश्ते उन्हें मारते हैं यहाँ तक कि उनकी जानें उनके शरीर से बाहर निकलती हैं, यह कहते हुए कि : "अपनी प्राणों को निकालो, आज तुम को इस प्रत्याप्राध में निंदात्मक यातना दी जायेगी .." (सूरतुल-अन्आम : 93)

इस बात का प्रमाण कि शिर्क कब्र के अज़ाब के कारणों में से एक कारण है, जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि उन्होंने ने फरमाया :

"इस बीच कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बनू नज्जार के एक बगीचे में अपने एक खच्चर पर सवार थे और हम आप के साथ थे कि सहसा आप का खच्चर मुड़ गया और करीब था कि आप को गिरा दे, और वहाँ छः या पाँच या चार कब्रें दिखाई दीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "इन कब्रों वालों को कौन जानता है ? एक आदमी ने कहा : मैं। आप ने कहा : "ये लोग कब मरे थे ? उसने कहा : शिर्क के ज़माने में मरे थे ... तो आप ने फरमाया : "इस उम्मत को उसकी कब्रों में आजमाया जाता है, यदि यह भय न होता कि तुम मुर्दों को गाड़ना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह तआला से प्रार्थना करता कि वह तुम्हें भी कब्र की कुछ वह यातना सुना दे जो मैं सुनता हूँ।" ... फिर आप ने हमारी ओर अपना चेहरा किया और फरमाया : नरक की यातना से अल्लाह तआला की पनाह मांगो ..." (मुस्लिम हदीस संख्या: 2867)

उक्त हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान : "शिर्क के ज़माने में मरे थे।" इस बात का प्रमाण है कि शिर्क कब्र के अज़ाब का कारण है।

निफाक भी कब्र के अज़ाब के कारणों में से एक कारण है:

और मुनाफ़िक लोग, लोगों में सब से अधिक कब्र के अज़ाब के पात्र हैं, क्यों नहीं, जबकि वे नरक के पाताल में होंगे।

अल्लाह तआला का फरमान है : "और कुछ तुम्हारे आस पास के देहातियों में से और अहले मदीना में ऐसे मुनाफ़िक हैं जो निफाक पर अड़े हुये हैं, आप उन को नहीं जानते, उनको हम जानते हैं, हम उन को दोहरी सज़ा देंगे, फिर वे बहुत बड़े अज़ाब की तरफ भेजे जायेंगे।" (सूरतुत्तौबा : 101)

क्रतादा और अरबीअ बिन अनस अल्लाह तआला के फरमान : (हम उन्हें दो बार अज़ाब देंगे) के बारे में कहते हैं : उनमें से एक बार दुनिया में है, और दूसरी बार यही कब्र का अज़ाब है।

तथा दोनों फरिश्तों के प्रश्न और कब्र की परीक्षा की हदीसों में स्पष्ट रूप से कई रिवायतों में मुनाफ़िक या शक्की का नाम आया है, जैसाकि बुखारी में हदीस संख्या (1374) के तहत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के शब्द यह हैं : (...तथा काफिर और मुनाफ़िक से कहा जाये गा ...), और बुखारी व मुस्लिम में अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस के शब्द यह हैं : (और मुनाफ़िक या शक्की ...)

अल्लाह तआला की हलाल की हुई चीज़ को हराम ठहरा कर और उसकी हराम की हुई चीज़ को हलाल करके अल्लाह की शरीअत को बदल डालना:

इस बात का प्रमाण कि अल्लाह तआला की शरीअत में इस प्रकार की नास्तिकता कब्र में दंडित किये जाने का कारण है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है : "मैं ने अम्र बिन आमिर अल-खुज़ाई को देखा कि वह अपनी अंतड़ियों को नरक में घसीट रहा था ; वह पहला आदमी है जिस ने जानवरों को छोड़ा।" (बुखारी हदीस संख्या: 4623)

साईबा : उस ऊँटनी, गाय या बकरी को कहते हैं जिन्हें वे छोड़ देते थे और उसकी न सवारी की जाती, न उसे खाया जाता, और न उस पर लादा जाता, और कुछ लोग अपने धन का कुछ भाग मन्नत मान कर उसे साईबा घोषित कर देते थे।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह फरमाते हैं : "इस्माईल अलैहिस्सलाम की संतान और उनके अलावा से अरब के लोग जो कि अल्लाह के उस प्राचीन घर के पड़ोसी थे जिसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमस्सलाम ने बनाया था, वे लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत (धर्म) पर एकेश्वरवादी थे, यहाँ तक कि खुज़ाआ नामी कबीले के कुछ सरदारों ने उनके धर्म को बदल डाला और वह व्यक्ति "अम्र बिन लुहै" है, और वह सर्वप्रथम आदमी है जिस ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म को शिर्क के द्वारा और ऐसी चीज़ को हराम करके जिसे अल्लाह ने हराम नहीं किया था, बदल दिया, इसी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि : "मैं ने अम्र बिन लुहै को देखा कि वह नरक में अपनी अंतड़ियों को घसीट रहा था।" (दक्राईकुत्तफसीर 2/71)

पेशाब से पवित्रता प्राप्त न करना, और लोगों के बीच चुगली खाते फिरना:

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो फरमाया : इन दोनों क़ब्रों वालों को दंडित किया जा रहा है, और उन्हें किसी बड़े मामले में दंडित नहीं किया जा रहा है, उन में से एक पेशाब (की छींटों) से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता फिरता था... हदीस के अंत तक। (बुखारी हदीस संख्या : 218, मुस्लिम हदीस संख्या : 292)

तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "सामान्य रूप से क़ब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से है, अतः उस से बचो।" (इसे दारकुत्नी ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुत्तरगीब (1/152) में सहीह कहा है।)

गीबत (पिशुनता) :

इसी पर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने किताबुल जनाइज़ में इस तरह शीर्षक लगाया है : "गीबत और पेशाब के कारण क़ब्र का अज़ाब"

फिर इस में दोनों क़ब्रों वाली पिछली हदीस का वर्णन किया है, जबकि बुखारी की हदीस के शब्दों में गीबत का उल्लेख नहीं है, बल्कि उस में चुगलखोरी का शब्द है, किन्तु उन्होंने ने अपनी आदत के अनुसार हदीस के कुछ तरीकों में वर्णित शब्द की ओर संकेत किया है : "और दूसरा आदमी गीबत के बारे में दंडित किया जा रहा है।"

इसे अहमद (5/35) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह तरगीब व तरहीब (1/66) में इसे सहीह कहा है।

झूठ बोलना:

समुरह बिन जुनदुब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "फिर हम चल दिये और एक आदमी के पास आये जो अपनी गुद्दी के बल चित लेटा हुआ था, और उसके साथ ही एक दूसरा आदमी लोहे का आँकुस लिए हुये उसके पास खड़ा था, और वह उसके मुँह के एक किनारे आता है और उसके जबड़े को उसकी गुद्दी तक, और उसके नथने को उसकी गुद्दी तक और उसकी आँख को उसकी गुद्दी तक फाड़ देता है, आप ने फरमाया : फिर वह दूसरी तरफ जाता है और उसी तरह करता है जिस तरह पहली तरफ किया था, उस तरफ से फारिग नहीं होता है कि दूसरी तरफ वाला उसी तरह सहीह हो जाता है जैसाकि पहले था, फिर वह दूसरी बार आता है और उसी तरह करता है जैसाकि पहली बार किया था। आप ने फरमाया : सुब्हानल्लाह ! यह दोनों कौन हैं ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस दंडित किये जा रहे आदमी के बारे में हदीस के अंत में फरमाया कि : "यह वह आदमी है जो अपने घर से सुबह निकलता था और झूठ बोलता था जो चारों ओर फैल जाता था।" (बुखारी : 7074)

कुरआन को सीखने के बाद उसे परित्याग कर देना, और फर्ज नमाज़ से सोया रहना :

समुरह बिन जुनदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "हम एक ऐसे आदमी के पास आये जो लेटा हुआ था और एक दूसरा आदमी उसके पास एक चट्टान (भारी पत्थर) लिए हुये खड़ा था, कि वह चट्टान को लेकर उसके सिर पर पटक देता है और उसे फाड़ देता है, तो पत्थर वहाँ से लुढ़क जाता है, तो वह पत्थर का पीछा करता है और उसे उठा लेता है, फिर वह उसके पास अभी लौटकर नहीं आता है कि उसका सिर ठीक ठाक हो जाता है जिस तरह कि पहले था, फिर वह दुबारा उसके पास लौटता है और उसके साथ वैसा ही करता है जिस तरह पहली बार किया था। आप ने फरमाया : मैं ने उन दोनों से कहा : सुब्हानल्लाह ! यह दोनों कौन हैं ?

और उसी हदीस में है कि : "और वह आदमी जिसे आप ने देखा कि उसका सिर कुचला जा रहा था, तो वह ऐसा आदमी है जिसे अल्लाह ने कुरआन सिखाया, तो वह रात को उस से सोया रहा, और दिन में उस पर अमल नहीं किया।"

और एक रिवायत के शब्द यह हैं कि : "जहाँ तक उस आदमी का मामला है जिसके पास आप आये तो उसका सिर पत्थर से कुचला जा रहा था, तो वह आदमी ऐसा था कि वह कुरआन को सीखता था फिर उसे छोड़ देता था और फर्ज नमाज़ से सोया रहता था।" (बुखारी हदीस संख्या : 7076)

हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है कि यह रिवायत पहली रिवायत से अधिक स्पष्ट है, क्योंकि पहली हदीस के ज़ाहिर से यह पता चलता है कि उसे रात के समय कुरआन की तिलावत छोड़ देने के कारण दंडित किया जा रहा है, और दूसरी रिवायत इस बात को दर्शाती है कि उसे फर्ज नमाज़ से सोये रहने के कारण दंडित किया जा रहा है।

हाफिज़ इब्ने हजर आगे फरमाते हैं : और यह भी हो सकता है कि उसे दोनों चीज़ों के समूह पर दंडित किया जा रहा हो अर्थात् तिलावत न करने और अमल न करने पर।

इब्ने हजर फरमाते हैं कि : "इब्ने हुबैरा कहते हैं : कुरआन को याद करने के बाद उसे छोड़ देना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस से इस बात का भ्रम पैदा होता है कि उसने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी है जो उसको छोड़ने की अपेक्षा करती है, और जब उसने सब से सर्वोच्च और श्रेष्ठ चीज़ कुरआन को छोड़ दिया, तो उसे उसके शरीर के सबसे श्रेष्ठ भाग सिर में सज़ा दिया गया।" (फतहूल बारी 3/251)

सूद (व्याज़) खाने वाला:

समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "फिर हम चल दिये और एक ऐसी नदी पर आये जो खून के समान लाल थी, नदी में एक आदमी तैर रहा था, और नदी के किनारे एक आदमी था जो अपने पास ढेर सारे पत्थर एकत्र किये हुये था, वह तैरने वाला आदमी जितना तैरना होता तैरता फिर उस आदमी के पास आता जो अपने पास पत्थर एकत्र किये हुए था और उसके सामने अपना मुँह खोलता और वह उसके मुँह में पत्थर डाल देता और वह तैरने चला जाता, फिर वह उसके पास वापस आता, जब भी वह उसके पास वापस आता, तो अपना मुँह खोल देता और वह उसमें पत्थर डाल देता।" यहाँ तक कि आप ने फरमाया : "और वह आदमी जिसके पास आप आये तो वह नदी में तैर रहा था और उसके मुँह में पत्थर डाला जा रहा था, तो वह सूद खाने वाला है।"

व्यभिचार:

समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है : "फिर हम चल दिये और तन्नूर (भट्ठी) के समान जगह पर आये जिस में कोलाहल और आवाज़ें सुनाई दे रही थीं।" आप ने फरमाया : "हम ने उस में झाँक कर देखा, तो उस में नंगे गर्द और औरतें थीं और उनके नीचे से उन पर आग के शोले आ रहे थे, जब उन पर वो शोले आते, तो वे चीखते चिल्लाते थे।" आप ने फरमाया : "मैं ने उन दोनों (फरिश्तों) से कहा : ये कौन लोग हैं?"

और उसी हदीस के अंत में है कि : "और वे नंगे मर्द और औरतें जो तन्नूर के समान जगह में थे, वे व्यभिचार (ज़िना) करने वाले मर्द और व्यभिचार करने वाली औरतें हैं।"

लेगों को भलाई का आदेश देना और अपने आप को भुला देना:

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस रात मुझे रातों रात (आसमान पर) ले जाया गया, मैं ने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा था। मैं ने कहा : ऐ जिब्रील! ये कौन लोग हैं? उन्होंने ने जवाब दिया : आप की उम्मत के खतीब (भाषण देने

वाले) लोग हैं, जो लोगों को नेकी का आदेश करते थे और अपने आप को भूल जाते थे, हालाँकि वे किताब की तिलावत करते थे, क्या ये लोग समझ बूझ नहीं रखते?" इस हदीस को इमाम अहमद (3/120) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने "अस्सहीहा" में (हदीस संख्या : 291 के तहत) इसे सहीह कहा है।

बैहकी में है : "जिस रात मुझे रातों रात (आसमान पर) ले जाया गया, मैं एक ऐसी क्रौम के पास आया जिनके होठों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा था, जब भी उन्हें काटा जाता था, वे पूरी हो जाती थीं, तो मैं ने कहा : "ऐ जिब्रील यह कौन हैं?" उन्होंने ने उत्तर दिया: आपकी उम्मत के खतीब (भाषणकर्ता) लोग हैं जो ऐसी बातें कहते थे जो स्वयं नहीं करते थे, और अल्लाह की किताब पढ़ते थे और उस पर अमल नहीं करते थे।" इस हदीस को बैहकी ने अपनी किताब "शुअ'बुलईमान" में रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुल जामिअ (हदीस संख्या : 128) में इसे हसन कहा है।

बिन उज्र (धार्मिक कारण) के रमज़ान के दिन में खाना पीना (रोज़ा तोड़ देना) :

अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना : "मैं सो रहा थी कि इसी हालत में मेरे पास दो आदमी आये, और मेरे दोनों बाज़ू पकड़ कर मुझे एक पहाड़ पर ले गये और कहा : चढ़िये। तो मैं ने कहा : मैं इसकी ताकत नहीं रखता। उन दोनों ने कहा : हम आप के लिए आसान कर देंगे। आप ने फरमाया : तो मैं चढ़ गया, यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया, तो मैं ने तेज़ आवाज़ें सुनीं, मैं ने कहा : ये कैसी आवाज़ें हैं? उत्तर मिला : ये नरकवासियों की चीखें हैं। फिर मुझे (आगे) ले जाया गया, तो ऐसे लोग दिखाई दिये जो अपनी ऐड़ियों से लटके हुये थे और उनके जबड़े फटे हुये थे जिनसे खून बह रहे थे, आप ने फरमाया कि मैं ने कहा : "ये लोग कौन हैं? जवाब दिया गया : ये वो लोग हैं जो अपने रोज़ों के पूरा होने से पूर्व ही रोज़ा तोड़ देते थे।"

इब्ने हिब्बान और हाकिम (1/210, 290) ने इसे रिवायत किया है और अल्बानी ने "अस्सहीहा" (3951) में इसे सहीह कहा है।

गनीमत के धन में खियानत करना :

इस का प्रमाण अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस आदमी के बारे में हदीस है जिस ने एक युद्ध में गनीमत के माल के वितरण से पूर्व एक कपड़ा ले लिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके बारे में फरमाया : "उस अस्तित्व की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वह चादर (कपड़ा) जो उसने खैबर के दिन गनीमत के माल से उसके बटवारे से पहले ही ले लिया था, उस पर आग बन कर भड़क रही है।" (बुखारी हदीस संख्या : 4234, मुस्लिम हदीस संख्या : 115)

गनीमत के माल में खियानत से अभिप्राय यह है कि गाज़ी (योद्धा) गनीमत के धन से, उसे हाकिम के सामने बटवारे के लिए



प्रस्तुत किये गये बिना ही, कुछ ले ले।

घमंड से कपड़े घसीटना :

इसका प्रमाण इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फरमाया : इस बीच कि एक आदमी अपने इज़ार (तहबंद) को घसीट कर चल रहा था कि उसे धंसा दिया गया और वह क्रियामत तक धरती में धंसता रहेगा।" (बुखारी हदीस संख्या : 3485, मुस्लिम हदीस संख्या : 2088)

हाजियों की चोरी करना :

इसका प्रमाण सलातुल कुसूफ के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है ... जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है : "नि :सन्देह नरक को लाया गया, और यह उस समय जब तुम ने मुझे देखा कि मैं इस भय से कि कहीं उसकी लपट मुझे न पहुँच जाए, मैं पीछे हट गया, यहाँ तक कि मैं ने उस में छड़ी वाले आदमी को देखा जो अपनी अंतड़ियों को घसीट रहा था ; वह अपनी छड़ी से हाजियों का सामान चुराया करता था, अगर उसे भाँप लिया जाता तो कहता कि : यह मेरी छड़ी में फंस गया था, और यदि लोग उस से गाफिल होत तो उसे लेकर चलता बनता।" (मुस्लिम हदीस संख्या : 904)

जानवर को बांध कर उसे यातना देना और उस पर दया न करना :

सलातुल कुसूफ के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मैं ने नरक में उस बिल्ली वाली महिला को देखा जिस ने उसे बाँध दिया था, फिर उसे न खाना खिलाया और न ही उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े-मकोड़े खाती यहाँ तक कि वह भूख से मर गयी।" (मुस्लिम : 904)

बैहक्की ने अपनी किताब "इस्बातो अज़ाबिल क़ब्र" (कब्र की सज़ा का सबूत) (पृष्ठ संख्या : 97) में कहते हैं : "आप ने जब खुसूफ़ (ग्रहण) की नमाज़ पढ़ी तो उस आदमी को देखा जो अपनी अंतड़ियों को नरक में घसीट रहा था, और उस व्यक्ति को जो चोरी की वजह से दंडित किया जा रहा था, और उस महिला को जो बिल्ली के कारण सज़ा दी जा रही थी, जब कि वे सब अपने समय के लोगों की निगाहों में सड़ी हुई हड्डी बन चुके थे, तथा आप के साथ नमाज़ पढ़ने वाले लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा था।"

कर्ज़ (ऋण):

मृतक (मैयित) को जो चीज़ें उसकी क़ब्र में हानि पहुँचाती हैं, उन में से एक उसके ऊपर अनिवार्य कर्ज़ भी है, सअद बिन अल-अत्वल से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : मेरा भाई मर गया और उसने तीन सौ दीनार छोड़ा, और युवा लड़के छोड़े, मैं ने



चाहा कि उन पर खर्च करूँ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से फरमाया : "तुम्हारा भाई कर्ज की वजह से बंदी बना है, जाओ उसके कर्ज को चुका दो।" वह कहते हैं कि मैं गया और उनकी तरफ से कर्ज को चुका दिया, फिर आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं ने उसकी की तरफ से कर्ज को चुका दिया है और केवल एक महिला बाकी रह गई है जो दो दीनार का दावा करती और उसके पास कोई सबूत (गवाह) नहीं है। आप ने फरमाया : "उसे दे दो ; क्योंकि वह सच्च कह रही है।" इस हदीस को इमाम अहमद (हदीस संख्या :16776) इब्ने माज्जा (2/82) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुल जामिअ (हदीस संख्या :1550) में इसे सहीह कहा है।